

1- गणेश पिता प्रथा चमार नि. लुहारियाखेड़ा तह0 बड़ीसादड़ी

- वादी

॥ बनाम ॥

- 1- प्रकाश पिता लालू चमार नि. लुहारियाखेड़ा तह0 बड़ीसादड़ी
- 2- मंजू पुत्री लालू पत्नी उदयलाल चमार नि. लुहारियाखेड़ा तह0 बड़ीसादड़ी
- 3- पारवतीबाई पुत्री लालू पत्नी राधेश्याम चमार नि. लुहारियाखेड़ा तह0 बड़ीसादड़ी
- 4- गीताबाई बेवा लालू चमार नि. लुहारियाखेड़ा तह0 बड़ीसादड़ी
- 5- शंकरलाल पिता नारायण मेघवाल नि. लुहारियाखेड़ा तह0 बड़ीसादड़ी
- 6- नानूराम पिता नारायण मेघवाल नि. लुहारियाखेड़ा तह0 बड़ीसादड़ी
- 7- व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बोहेड़ा
- 8- तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बंटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा लुहारिया खेड़ा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

1- गणेश पिता प्रथा जटिया सा. देह खाता

आ. नं.	रकबा	लगान
14	0.27	5.13
20	0.01	-
21	0.24	4.56
205	0.03	1.26
211	0.04	1.68
213	0.03	1.26
221	0.05	0.95
226	0.03	0.78
232	0.09	2.34
241	0.10	1.91
327	0.09	1.71
11	0.98	21.58

2- प्रकाश मंजू पार्वती पिता लालू गीता पत्नी लालू जटिया सा. देह खाता


आ. नं.	रकबा	लगान
14/1	0.28	5.32
21/1	0.24	4.56
205/1	0.04	1.68
211/1	0.03	1.26
213/1	0.03	1.26
221/1	0.05	0.95
226/1	0.03	0.78
232/1	0.09	2.34
241/1	0.11	2.09
327/1	0.09	1.71
10	0.99	21.95

3- गणेश पिता प्रथा 1/2 प्रकाश मंजू पार्वती पिता लालू गीता पत्नी लालू 1/2 जटिया सा. देह		
आ. नं.	रकबा	लगान
13	0.01	गै.मु. चाह
1	0.01	-

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे। निर्णय आर
11.06.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।

मोहर




जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी